

जनता द्वारा दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्र

आई0जी0 आर0 एस0 संवर्ष संख्या 60000250063199/66340 दिनांक 06.03.2025

आई0जी0 आर0 एस0 संवर्ष संख्या 40016425018561 दिनांक 06.03.2025

आवेदक / शिकायतकर्ता का नाम / पिता का नाम व मो0 नम्बर	आवेदक रामकेश वर्मा पुत्र स्व0 श्याम लाल वर्मा निवासी 6c स्वराज नगर थाना पनकी कानपुर नगर मोबाइल नंबर 8765430629
विपक्षी का नाम व पता (यदि कोई सरकारी कर्मचारी अथवा अन्य पदो पर है उसका पद व तैनाती का विवरण)	संजय इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता के प्रतिनिधि शिवम वर्मा से 29,000 रु व जीवाह इलेक्ट्रिक कंपनी के ब्रांच हेड चैतन्य भसीन निवासी फ्लैट नंबर 1130 डी ब्लॉक गौर कंसल्टेंट्स राज नगर एक्सटेंशन गाजियाबाद
आवेदक का विपक्षी का सम्बन्ध	-
शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत / आरोप का संक्षिप्त विवरण।	पैसे का लेन - देन आदि अंकित कतिपय आरोपों के सम्बन्ध में
जांच करने वाले अधिकारी का नाम व पद	उ0नि0 प्रभात मिश्रा थाना पनकी कानपुर नगर मो0न0 9739259621
घटना स्थल के निरीक्षण का दिनांक	30.03.2025
शिकायत कर्ता के बयान	आवेदक रामकेश वर्मा ऑनलाइन दिये प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं लिखित तहरीर साथ संलग्न है।
आरोपी व्यक्तियों के बयान	
निष्पक्ष / स्वतन्त्र व्यक्तियों के बयान	-
अभिलेख साक्ष्य	-
मेडिकल रिपोर्ट का विवरण (यदि हुआ है तो)	-
<u>जांच का सारांश -</u>	
महोदय	
<p>निवेदन है कि उक्त आईजीआरएस आवेदक रामकेश वर्मा पुत्र स्व0 श्याम लाल वर्मा निवासी 6c स्वराज नगर थाना पनकी कानपुर नगर मोबाइल नंबर 8765430629 के आईजीआरएस प्रार्थना पत्र की जांच मुझ उ0नि0 द्वारा की गई तो वाक्यात इस प्रकार पाए गए कि आवेदक रामकेश वर्मा उपरोक्त का संजय इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता के प्रतिनिधि शिवम वर्मा से 29,000 रु व जीवाह इलेक्ट्रिक कंपनी के ब्रांच हेड चैतन्य भसीन निवासी फ्लैट नंबर 1130 डी ब्लॉक गौर कंसल्टेंट्स राज नगर एक्सटेंशन गाजियाबाद से 45,000 रु से लेन- देन का विवाद है। विपक्षी शिवम वर्मा उपरोक्त से जरिए दूरभाष नं0 8840514731 वार्ता की गई तो विपक्षी ने बताया कि मेरा रामकेश वर्मा से 29000 रु का लेन - देन है जो मैं 02/04/2025 को थाने जाकर इनसे बातचीत करता हूं, यही बात चैतन्य भसीन उपरोक्त द्वारा भी बताई गई। आवेदक रामकेश वर्मा द्वारा बताया गया कि मेरा चैतन्य भसीन व शिवम वर्मा से पैसे का लेनदेन है वर्तमान समय में यह लोग बाहर हैं इस कारण मैं अपने ऑनलाइन प्रार्थना पत्र की जगह थाने पर दिए गए लिखित प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही चाहता हूं। मैं अपनी ऑनलाइन प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई नहीं चाहता हूं। इस संबंध में उनके द्वारा एक लिखित तहरीर भी दी गई है। जो रिपोर्ट के साथ संलग्न है।</p> <p>रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।</p>	
आरोप सिद्ध हो रहे हैं अथवा नहीं।	निल
पुलिस अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही / प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण।	लिखित तहरीर आख्या के साथ संलग्न है।
कोई अन्य तथ्य	निल

दिनांक - 30.03.2025

गाजिया निरीक्षण दफ्तारी
कानपुर नगर

उप निरी0/जांचकर्ता

थाना पनकी कानपुर नगर

